उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम दलपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 458/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/590

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली

1. दलपतसिंह मेघवाल पुत्र कानसिंह निवासी 972, रजूबाव के पास, नारलाई, देसूरी (हाल मैनेजर)
2. दलपतसिंह पुत्र मांगूसिंह बडगूजर निवासी कतवारी चौक बस स्टेण्ड, नाडोल, देसूरी (हाल प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स बाबा रामदेव होटल, एनएच 67, सोमेसर पाली रोड़, नाडोल, देसूरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

–:निर्णय:–

दिनांक: 14.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म **मैसर्स बाबा रामदेव होटल एनएच 67, सामेसर पाली रोड़ नाडोल, देसूरी** वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को पेश कर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को नियमानुसार राज्यसात करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग व घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी भ्रमण दौरान एनएच 67, सोमेसर पाली रोड़ नाडोल स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स बाबा रामदेव होटल पर पहूंचे। मौके पर दलपतसिंह मेघवाल पुत्र कानसिंह उपस्थित मिले, जिन्होंने खुर्द को मैनेजर होना बताया। मौके पर रुबरु मौतबिरान अरविन्द कुमार पुत्र मांगीलाल, निवासी 76 ब्राह्मणों का बास, गुडा रामजी, घेनडी एवं मूलेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह निवासी कतवारी चौक बस स्टेण्ड, नाडोल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 01 एचपी व 01 इण्डेन कम्पनी के पाये गये। मौके पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर से जुडी भट्टी पर चाय बनायी जा रही थी। मौके पर आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। तथा उक्त संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण, रिफलिंग एवं बिक्री किये जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस पाली के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

वजन कि.ग्रा. में

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम दलपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

			उपदर्शित मानक भार/क्षमता				
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.400	15.600	13.800	432228
2	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	17.000	15.500	1.500	44351030

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध संग्रहण किये जाने के फलस्वरुप मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) (01 एचपी व 01 इण्डेन) कम्पनी मय छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगूलेटर को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मोतीलाल पुत्र गजाराम, निवासी पाली हाल डीलीवरी मैन वासुदेव एचपी गैस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गयें। इस दलपतसिंह मेघवाल द्वारा गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) (01 एचपी व 01 इण्डेन) कम्पनी मय एक छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगुलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया अप्रार्थी दलपतसिंह मेघवाल की एक फर्म **मैसर्स बाबा रामदेव होटल एनएच 67, सामेसर पाली रोड़ नाडोल, देसूरी** पर स्थित है जिससे ही अप्रार्थी व इसके गरीब परिवार की आजीविका चलती है अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में नरम रुख रखते हुए की कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा बहस में उठाए गए तथ्यों पर मनन उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कुल संख्या 02, तथा भट्टी मय रेगुलेटर जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) (01 एचपी व 01 इण्डेन) कम्पनी मय छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डरों को मय् गैस सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम दलपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

दिनांक :

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./458/2024/2025/
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
3. दलपतसिंह मेघवाल पुत्र कानसिंह निवासी 972, रजूबाव के पास, नारलाई देसूरी

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner